

Dr•Manoj Kumar Singh
Assistant Professor
P.G.Deptt.of Psychology
Maharaja College Ara
Date; 3/11/2025
Class: P.G Semester - 3rd
(C.C-12)
Educational Psychology,

Topic -

शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक (*Children with physical and health impairment*)

वैसे बच्चे, जो अपने दैनिक कार्यक्रम पूरा करने, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन और शैक्षणिक विकास में अपनी शारीरिक क्षमता में कमी या असमर्थता के कारण अपने माता-पिता परिवार, स्कूल और समाज से विशेष देखभाल ध्यान एवं विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर, विकलांग या शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त बालक कहते हैं। शारीरिक क्षति की चर्चा करने से पहले अयोग्यता और बाधा शब्द की विवेचना आवश्यक है। अयोग्यता का साधारण अर्थ किसी विशेष कार्य को करनेकी असमर्थता है जैसे सुनना, देखना, चलना इत्यादि क्रियाओं में कमी (Disability) इस कमी के कारण जो असुविधा होती है उसे बाधा (handicap) कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो बालक असमर्थ हों वे अयोग्य भी हों। उदाहरण के लिए, एक अंधे आदमी का गाड़ी चलाना असंभव है, क्योंकि उसका अंधापन इसमें बाधा पहुँचाता है। पर वही व्यक्ति अच्छा संगीतकार हो सकता है, व्याख्यान दे सकता है, ऐसी अवस्था में उसे अयोग्य नहीं कह सकते। इन विकलांगता के कारणों में केन्द्रीय स्नायु मंडल का प्रमुख योगदान होता है। कभी-कभी मस्तिष्क में आघात या अन्य दोष के कारण जो शारीरिक दोष पाये जाते हैं उनमें दो प्रमुख हैं

(i) प्रमस्तिष्क पक्षाघात और बहुविकलता (**Cerebral palsy and multiple disability**)- जन्म के समय या प्रारंभिक वाल्यावस्था में मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होती है तो बालकों के गति संचालन में (चलना, दौड़ना) समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब यह समस्या छोटी या साधारण होती है तो बच्चे सिर्फ बेढंगे दिखते हैं। अगर समस्या गंभीर हो तो चलना, दौड़ना, घूमना या किसी तरह की गति बिल्कुल असंभव हो जाती है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात को (spasticity) भी कहते हैं। इसमें बच्चों की मांसपेशियाँ बिल्कुल ढीली रहती हैं या बहुत ज्यादा सख्त । प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण बालकों में बहुत तरह के दोष भी आ जाते हैं (Kirk, Gallagher & Anastasion-1993) उनमें दृष्टि संबंधी या भाषा सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी मानसिक क्षति भी हो जाती है। इनकी शिक्षा बिल्कुल अलग स्कूलों में होती है और बुद्धि सामान्य से बहुत ही निम्न स्तर की होती है।

(ii) मिरगी रोग (**Epilepsy**)- जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में असामान्य विद्युतीय प्रवाह या तरंग (Abnormal Neuro chemical Activities) उत्पन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य के व्यवहार पर आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के व्यवहार सम्बन्धी शारीरिक दोष को मिरगी या (epilepsy) कहते हैं। इनमें दौरे पड़ते हैं। इन दौरों (seizures) का कोई समय नियत नहीं होता है। इसमें तेज झटके आते हैं जिन पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति की साँसे तेज चलने लगती हैं और वह हाथ-पाँव पटकने लगता है। इस दोष से ग्रसित लोगों को जमीन पर लेटा देना चाहिए और उनके कपड़े ढीले कर देने चाहिए। ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूलों में ही होती है क्योंकि उनकी बुद्धि सामान्य से कम नहीं होती। पर जब दौरे पड़ते हैं या आक्रमण होता है (व्यवहार पर) तो विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

दृष्टि क्षति या दोष से ग्रसित बालक (*Visually Impaired or Handicapped children*)

अर्थ (Meaning) दृष्टि दोष या दृष्टि क्षति से युक्त बालक हम उन्हें कहते हैं जिनकी आँखों में किसी प्रकार की क्षति इस हद तक पायी जाती है कि दृष्टि सम्बन्धी योग्यता में अपने आपको अयोग्य पाते हैं। ऐसे बच्चे, जिन्हें देखने में कष्ट होता है, वे या तो पुस्तक बिल्कुल आँखों के सामने रखते हैं या आँखों से बिल्कुल दूरी उनकी नजर सीधी न होकर तिरछी हो जाती है (squint)। वे अपनी आँखों को हमेशा रगड़ते रहते हैं। उनकी आँखों में जलन होती है और कभी-कभी सूजन भी हो जाती है। दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। अक्षर उन्हें उल्टे-पुल्टे (blurred) दिखाई देते हैं। प्रकाश से उन्हें बहुत कठिनाई होती है और पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। (हंट एवं मार्शल - Hunt & Marshall-2002)। यह दृष्टि क्षति या दृष्टि दोष निम्न दृष्टि से लेकर पूरे अंधपन तक होती है। इस तरह की भिन्नता के कारण दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे आंशिक रूप से दृष्टि दोष, निम्न दृष्टि, कानूनी रूप से अंधे और पूर्ण अंधे। मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें दो मुख्य भागों में बाँटा है निम्न दृष्टि या आंशिक क्षति और पूर्ण अंधे बालक।

(i) निम्न दृष्टि वाले बच्चे या आंशिक रूप से दृष्टि क्षतिग्रस्त बालक (Low vision children) ऐसे बच्चों की दृष्टि बहुत नजदीक के वस्तुओं तक ही सीमित रहती है। इसमें व्यक्ति के दृष्टि दोष के कारण किसी भी वस्तु का आंशिक प्रत्यक्षीकरण होता है। निम्न दृष्टि दोष से हमारा तात्पर्य ऐसी दृष्टि क्षति से होता है जिसके कारण नजदीक या दूर की चीज पढ़ने या देखने के लिए चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लेना पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने निम्न दृष्टि को कानूनी अंधता (legally blind) की भी संज्ञा दी है। यह पूर्णतया अंधापन नहीं होता। इसमें देखने की क्षमता बहुत कम दूरी तक सीमित रहती है। (120 फीट या उससे भी कम) पूर्ण अंधपन की तुलना में इनकी समस्या कम नहीं होती क्योंकि ऐसे बच्चों की शिक्षा बड़े एवं मोटे अक्षर वाले पुस्तकों से ही हो सकती है। कभी-कभी रात में देखने के अयोग्य होते हैं।

(ii) अंधे बालक (Blind children) ऐसे बच्चों में देखने की क्षमता नहीं होती है। वह किसी भी चीज का प्रत्यक्षण अपनी आँखों से नहीं कर पाता है। उसकी शिक्षा के लिए ब्रेल (Braille) या अन्य दृष्टि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी शिक्षा भी विशेष स्कूल (Blind School) में होती है।

निम्न दृष्टि के बालकों की शिक्षा एवं समायोजन (Adjustment and education of low vision children) - निम्न दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की दृष्टि सिर्फ नजदीक की वस्तुओं तक ही सीमित रहती है। अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा एवं अभियोजन में बहुत बाधाएँ आती हैं। ऐसे बालक जिनमें आंशिक अंधापन होता है, कभी-कभी माता-पिता या शिक्षकों की उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बालक न तो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं और न ही सामान्य दृष्टिवाले। उनकी परेशानी कभी-कभी लोग नहीं समझ पाते हैं। पर थोड़ी सावधानी और अतिरिक्त प्रयत्न से इनकी दृष्टि दोष में निम्नलिखित सुधार लाया जा सकता है।

1. इन दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की शिक्षा के लिए सबसे पहले सही सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। इसके लिए समय-समय पर या बच्चे द्वारा आँख की तकलीफ की शिकायत करने पर डाक्टरी जाँच आवश्यक है। उनके दृष्टि दोष के लिए उन्हें डाँटना या दुत्कारना नहीं चाहिए बल्कि सहानुभूति पूर्वक सहयोग देना चाहिए। उन्हें चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की सुविधा देनी चाहिए। समय-समय पर चश्मे का पावर की भी जाँच होनी चाहिए। यही नहीं, चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के सही उपयोग एवं देखभाल का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा करने से वे अपने दृष्टि दोष को कम या दूर कर सकते हैं। फलस्वरूप दूसरों के साथ उनका अभियोजन भी नहीं होगा।

2. ऐसे बालक जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं उनकी कक्षा में थोड़ा अनुकूलन करने से उनकी शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनके बैठने के लिए सही बेंच होना चाहिए जिससे वे श्यामपट्टी (Blackboard) अच्छी तरह देख सकें। कक्षा में रोशनी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनकी आँखों पर अत्यधिक जोर न पड़े। उन्हें कक्षा में आगे बैठने देने की सुविधा देना चाहिए।

3. ऐसे निम्न दृष्टि के बालकों पर शिक्षा का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें महीन कलात्मक कार्य ज्यामितिय बनावट या सूक्ष्म दर्शन वस्तुओं से दूर रखना चाहिए।

4. उन्हें शिक्षा के लिए विशेष उपकरण देने चाहिए। इन बच्चों की शिक्षा सामान्य कक्षा में ही होनी चाहिए पर उन्हें बड़े अक्षरों वाला टाईपराइटर टेलिस्कोप या आवर्धक (magnifiers) या सुक्ष्मदर्शी यंत्र बगैरह देना चाहिए। उनके पाठ्य पुस्तकों के अक्षर साफ और बड़े-बड़े होने चाहिए।

5. उनके लिए देखकर पढ़ने की अपेक्षा, जोर-जोर से बोलकर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें पाठ को सुनकर बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। उनकी लेखन सामग्री भी अलग होनी चाहिए। इन उपायों को उपयोग में लाकर निम्न दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाया जा सकता है। अगर उनकी शिक्षा सही और प्रभावशाली होगी तो उनका अभियोजन भी बेहतर होगा।

पूर्ण अंध बालक की शिक्षा एवं अभियोजन (*Adjustment and education of Totally Blind Children*)

1. ऐसे बच्चे जो पूर्ण अंध होते हैं या पूर्ण अंधपन के करीब होते हैं, उनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में नहीं हो सकती। उनकी शिक्षा विशेष स्कूल (Blind school) में संभव है जहाँ सीखने के लिए ब्रेल पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे स्कूलों में विशेष प्रशिक्षित शिक्षक एवं कर्मचारी होते हैं। इनकी शिक्षा के लिए दृष्टि या आँख का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि दूसरी इन्द्रियाँ सिखाने का कार्य करती हैं। स्पर्श, गंध और श्रवण इनके शिक्षण के यंत्र (instrument) होते हैं। ब्रेल पद्धति का विकास लुइस ब्रेल (Louis Braille) नामक व्यक्ति ने किया है जिसमें वर्णमाला के सभी अक्षर उभरे हुए बिन्दुओं के रूप में लिखे जाते हैं। विद्यार्थी ऐसे अक्षरों को छूकर पढ़ते हैं। आरंभ में उन्हें पढ़ने, लिखने अंकगणित एवं वातावरण के बारे में सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। बाद में ब्रेल पद्धति के पुस्तकों द्वारा उनकी शिक्षा होती है।

2. ब्रेल पद्धति से पढ़ाई के अलावा स्कूल में उन्हें और भी कई प्रकार की सुविधा दी जाती है। उन्हें सबसे पहले उनके शारीरिक और सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित तथ्यों से अवगत करा उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इन अंध बालकों को अपनी दिनचर्या एवं सामाजिक वातावरण में अभियोजन के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार किया जाता है। छड़ी के सहारे, सुनकर या छूकर उन्हें शारीरिक गतिविधियों से इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बिना दूसरे का सहारा लिये सड़क पार कर जाते हैं।

3. ऐसे बच्चों या वयस्कों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सह-पाठ्यक्रम तैयार किये जाते हैं। उन्हें हल्के-फुल्के खेलकूद के लिए भी तैयार किया जाता है। वाद-विवाद प्रतिस्पर्धा, साहित्यिक कार्यक्रम जैसे कविता पाठ, अभिनय, नाटक, गायन, वादन तथा मिट्टी से तरह-तरह की चीजें बनाना भी सिखाया जाता है। (Hanninan-1975), मार्टिन एवं होवेन (Martin & Hoven-1977) ने पूर्ण रूप से अंध बालकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की भी सिफारिश की है। इस तरह की शिक्षा पाकर वे आत्मनिर्भर हो सकते हैं एवं अपने क्रियात्मक कौशल का विकास कर जीविका अर्जित करने में भी सफल हो सकते हैं।

4. ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाये गये हैं जिससे शिक्षकों को उन्हें विशेष शिक्षा देने में सहायता मिलती है। इन उपकरणों में Cranmer Abens, Speech plus calculator प्रधान है जिसकी सहायता से गणित सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। Optec या Optical tactile converter के द्वारा सामान्य अक्षरों को स्पर्शी कंपनी (tactile vibration) में बदल दिया जाता है जिससे छात्रों को सामान्य पुस्तकों की सामग्रियों को पढ़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा Kurzweil reading machine के उपयोग से छिपी हुई सामग्रियों को पढ़ने में सहायता मिलती है। यह एक तरह का कम्प्यूटर है जो बोल बोलकर पढ़कर सुनाता है।

भारत में प्रायः सभी राज्यों में इस तरह के सरकारी या गैर सरकारी अंधा स्कूल हैं जो पूर्ण रूप से अंधे बालकों की शिक्षा के लिए कार्यरत हैं। उनके प्रयासों से अंधे बालक न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनकी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए 'National Institute for the Visually Handicapped' देहरादून में 1971 से कार्य कर रही है। अंधे बालकों की शिक्षा एवं सफल अभियोजन के लिए इस तरह की संस्थाएँ अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं।

दृष्टि दोष के कारण दृष्टि दोष अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं।

1. दृष्टि क्षतिग्रस्त माता-पिता के बच्चों में यह दोष पाया जाता है।
2. गर्भावस्था में माता के खान-पान पोषण में असावधानी, भयंकर बीमारी, दुर्घटना या तनावपूर्ण स्थिति या हानिकारक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था ।
3. समय से पहले बच्चे का जन्म, प्रसव के दौरान an anaesthesia या किसी उपकरण से चोट पहुँची हो।
4. बच्चे भूखमरी, कुपोषण का शिकार हों या किसी संक्रमणात्मक रोग जैसे smallpox, chicken pox आदि बीमारियों से पीड़ित हों।
5. किसी ऐसे विटामिन की कमी से, जिससे आँख पर असर पड़ता हो या आँख की कोई बीमारी जैसे glaucoma, cataract इत्यादि ।
6. कम रोशनी में पढ़ना, घूमते हुए रोशनी की तरफ ध्यान से देखना किसी विद्युत उपकरण या रेडियो एक्टिव किरणों के सम्पर्क में आना, टी० वी० पर हमेशा आँख गड़ाकर प्रोग्राम देखना इत्यादि ।
7. दुर्घटना में आँख में चोट लगना या अधिक मात्रा में शराब या ड्रग के सेवन से भी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं।